RAJYA SABHA

Wednesday, the 10th March, 2010/19 Phalguna, 1931 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

Re. REQUEST FOR REVOCATION OF SUSPENSION AGAINST SEVEN MPs

MR. CHAIRMAN: Question No. 182.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, कृपया आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे जिन संसद सदस्यों को इस पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित किया गया है, आप उनका निलंबन वापस लीजिए और अगर निलंबन वापस नहीं होगा, तो हम लोग भी इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप लोग कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए ...(व्यवधान) मैं आपको factual position बता देता हूं। कल हाउस में एक मोशन मूव हुआ था और हाउस ने उसको एप्रूव किया था। अगर उस मोशन को अमेंड करना है या चेंज करना है, तो वह बिना मोशन के नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने वह मोशन मूव किया था। आप लोग यह बात अलग से कीजिए, यहां मत कीजिए।

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I have suggested, and, I think, Mr. Yechury has also suggested to the hon. Parliamentary Affairs Minister that there were peculiar circumstances and the Members should separately meet the Chair and make amends for what happened. Therefore, the Government should bring a Motion today itself and withdraw the suspension as far as the Members are concerned.

MR. CHAIRMAN: This is something that can be discussed with the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI ARUN JAITLEY: We have already requested him, Sir.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, we have discussed with the Minister for Parliamentary Affairs and it appears that they are in agreement with that. If that is the case, then, they should move a Motion here which will be approved by all of us. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: No, no. Please. ... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN: The only thing is that the Members should individually approach the Chairman and they should apologise also. That also should be done. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Let us discuss that after the Question Hour.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तराखंड) : सभापति जी, उन्हें कम से कम इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए, उस गलती को महसूस करना चाहिए और आइंदा ऐसा व्यवहार न करने का विश्वास दिलाना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Thank you, very much. Question No. 182.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, Leader of Opposition ने जो कहा और जो येचुरी जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन जिस तरह की बातें बाद में कही गईं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। सदन यह बात तय करे और जब तक यह तय नहीं होता है, तब तक मेरा निर्णय है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी इस सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

श्री सभापति : देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम इसके बारे में सदन के बाहर बात करेंगे ... (व्यवधान) आप प्रश्न काल चलने दीजिए, प्लीज़ (व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : सॉरी (व्यवधान)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (बिहार): सभापति जी, जो Leader of Opposition ने कहा, येचुरी साहब ने कहा और हाउस के दूसरे सदस्यों ने कहा, यह ठीक है, लेकिन इस तरह से माफीनामा करवाना ठीक नहीं है (व्यवधान) जो कुछ भी हुआ है, वह peculiar circumstances में हुआ है, लेकिन अगर इसको लेकर माफी मंगवाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो यह ठीक नहीं है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, यह बहस यहां नहीं होगी ... (व्यवधान)

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : Regret करना जरूरी है।

SHRI Y.P. TRIVEDI (Maharashtra): They must say sorry. (Interruptions)

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : सभापति जी, इस पर सरकार को तुरंत विचार करना चाहिए और इसे बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए। किन शब्दों में, उनसे क्या लेना है, क्या देना है, सरकार कैसा मोशन लाए, यह तत्काल करना चाहिए, ताकि सदन की जो गरिमा थी, वह वापस प्रतिष्ठित हो सके।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 182.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*181. The question was cancelled.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग का नवीकरण और इसे चौड़ा किया जाना

*182. श्री वाई.पी. त्रिवेदी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के नवीकरण हेतु और इसे चौड़ा किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष चार हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इसे कब तक अनुमोदित कर देगी?